/6

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–पी.पी.एम.–89/2012 – 5125 /कृ0, पटना, दिनांक 24-11-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 200 लाख रूपये (दो करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 2803, दिनांकः 29.05.2013 के क्रम में किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर के आधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रूपये को पुनरीक्षित करते हुये कुल 683.392 करोड़ रूपये (छः अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 200.00 लाख रूपये (दो करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्वर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। महाविद्यालय के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। निगम द्वारा कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण हेतु वास्तुविदीय नक्शा साइट प्लान के अनुमोदनोपरांत एवं सभी Staturory Clearance प्राप्त कर निविदा आमंत्रित करके नियमानुकूल उसे निष्पादित कर मे0 सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी, कोलकाता को अंतिम दर–वार्ता के उपरांत प्राक्कलित राशि (501.5665387 करोड़ रूपये) से 18.25 प्रतिशत अधिक पर 593,10,24,321.00 रू0 के लिए निगम के पत्रांक–2109, दिनांकः 13.12.2013 द्वारा कार्यावन्टन किया गया। कार्य को पूरा करने की अवधि 24 महीना निर्धारित है।

3. कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के चयनित स्थल पर महाविद्यालय परिसर एवं बाह्य भूखंड के जल निकासी हेतु 450मी0 4 मी0 एवं 850मी0 8मी0 चौड़ा नाला के निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा ही कराया जायेगा। तदुपरांत उक्त नाला निर्माण के खर्च को कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण खर्च में समावेशित करके पुनरीक्षित परियोजना लागत का आकलन किया गया।

4. उक्त प्रकार से मे0 सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी, कोलकाता को दिये गये कार्यावंटन एवं नये मदों को शामिल करने के फलस्वरूप परियोजना लागत 683.392 करोड़ रूपये हो गया है। बिहार राज्य

अनिल कुमार झा

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\Agriculture Colleges\Agri College_Kishanganj.doc

भवन निर्माण निगम के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संशोधित परियोजना लागत पर तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 16.05.2014 को प्रदान किया गया है। तकनीकी अनुमोदन से संबंधित विवरण अनुसूची–1 संलग्न है।

5. समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए निम्न प्रकार से Time Line निर्धारित किया गया है,

5.1 मेन कैम्पस जहाँ 45 Buildings बनाना है(55 एकड़ भू–भाग):–

मेन ब्लॉक के Framed Structure पूरा करने की तिथि	—	31.01.2015
आवासीय एवं अन्य Bulidings के Framed Structure पूरा करने की तिथि	—	31.03.2015
उन्हें Finishing करने की तिथि		
मेन ब्लॉक	—	30.06.2015
आवासीय एवं अन्य Buildings	—	31.07.2015
अतिथिशाला — ग्राउंड फ्लोर(Good to live in) पूरा करने की तिथि	—	31.10.2014
अतिथिशाला पूरा करने की तिथि	—	31.08.2015
External Service – Road पूरा करने की तिथि		31.08.2015

एक साथ 55 एकड़ भूभाग के 43 Buildings में काम चल रहा है। Foundations करके Column जमीन के उपर आ गया है। Guest House और Staff Community Centre के Ground Floor के roof का भी Casting हो चुका है और शेष Buildings में कार्य प्रगति पर है।

5.2 **फार्म एरिया के Buildings** :– सभी drawings परामर्शी डी0डी0एफ0 द्वारा सम्बेदक मे0 सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी, कोलकाता को दिनांक– 15.10.2014 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा और संवेदक इसे पूरा करने हेतु उक्त तिथि से Programme देते हुए कार्य शुरू करेंगे।

6. आधारभूत संरचना के लिए सहायक अनुदान के रूप में राशि पूर्व में विहित प्रावधान के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को विमुक्त की जाती थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को राशि विमुक्त की जाती थी। यह व्यवस्था इसलिये लागू की गई थी कि विश्वविद्यालय को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी हो सके तथा विश्वविद्यालय अपने महाविद्यालय के निर्माण कार्य पर सतत ध्यान रख सके, परन्तु यह अनुभव हुआ है कि विभाग से विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को राशि ट्रांसफर करने में प्रक्रियागत विलंब होता है। निर्माण कार्य के नये Time Line के अनुरूप कार्य करने के लिए विभाग से सीधे बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को राशि ट्रांसफर करने की नई व्यवस्था स्वीकृत की गयी है। इस नये राशि अंतरण की व्यवस्था के होते हुये भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय को कार्य की प्रगति की समीक्षा का अधिकार होगा और वे प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं विभाग को प्रतिवेदन देंगे।

7. आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

8. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 200.00 लाख रूपये (दो करोड़ रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0107–कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, विपत्र कोड P2415017960107 अंतर्गत विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वर्ष 2014–15 में उपबंधित 353.79 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

9. स्वीकृत राशि 200.00 लाख रूपये (दो करोड़ रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 6487 दिनांक– 21.07.2014 (प्रति अनुसूची–2 के रूप में संलग्न) के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। स्वीकृत राशि के अधीन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकेगा।

10. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा time line के अनुरूप कार्य करके पूरा करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 400.00 करोड़ रू0 राशि और शेष 183.40 करोड़ रू0 की राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्ष 2014–15 में अब तक 109.85 करोड़ रूपये के व्यय का आदेश निर्गत

10. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा time line के अनुरूप कार्य करके पूरा करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 400.00 करोड़ रू0 राशि और शेष 183.40 करोड़ रू0 की राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्ष 2014–15 में अब तक 109.85 करोड़ रूपये के व्यय का आदेश निर्गत किया गया है। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को वर्ष 2014–15 एवं आगे के वर्षो में राशि विमुक्त की जायेगी। आगामी वर्षो में कुल स्वीकृत राशि में से इस वर्ष तथा पूर्व के वर्षो में विमुक्त की गई राशि को घटाकर शेष राशि बजट उपबंध की सीमा में विमुक्त किया जायेगा।

11. बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी तैयार किया जायेगा तथा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14.10.2014 को स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–89/2012 के पृ0सं0–105/टि. पर प्राप्त है।

13. राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम–89/2012 के पृ0सं0–113/टि. पर दिनांक–10.11.2014 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(sd/- 14.11.14)
(विश्वनाथ चौधरी)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5125 /कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(sd/- 14.11.14)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5125 /कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(sd/- 14.11.14)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5125 /कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(sd/- 14.11.14)
सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5125 /कृ0, पटना, दिनांक 14-11-2014

प्रतिलिपिः— उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

14.11.14

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\Agriculture Colleges\Agri College_Kishanganj.doc

अनुसूची-1

665

CONSTRUCTION OF BIHAR AGRICULTURE COLLEGE KISHANGANJ, BIHAR

SUMMARY OF COST

	Description Of Items	AMOUNT ON DIFFERENT HEADS								No.Of Block	Total T.S. Amount
		CIVIL	Plumbing	Fire Fighting	ELECTRICAL	HVAC	LIFT	Interior + Sinages	Cost Of One Block		
A	Building										
1	Main College Building	1136716535.88	1,98,29,099.05	28545287.00	70641657.66	113153555.00	23552000.00	10961919.60	1403400054.19	1	1403400054.19
2	Auditorium	101800755.08	1390040.86	1469754.00	2686165.23	9479908.00		41374501.00	158201124.17	1	158201124.17
3	Poultry Shed	6681488.23	435697.90		213514.96			0.00	7330701.09	1	7330701.09
4	Canteen	7845095.67	121458.78	317705.00	283400.13			188923.40	8756582.98	1	8756582.98
5	Workshop	5556597.23	0.00		130434.18			0.00	5687031.41	1	5687031.41
6	Guest House	16803968.09	1162384.77	404151.00	1341681.88	1886368.00		0.00	21598553.74	1	21598553.74
7	Farmer cum Training Hostel	40578385.08	2053129.82	476775.00	4628480.98	5404157.00		475984.60	53616912.48	1	53616912.48
8	Boys Hostel (PG)	64042980.61	2491834.39	898601.00	2059442.96			660458.60	70153317.56	1	70153317.56
9	Boys Hostel (UG)	117154173.80	2478171.86	917986.00	4485097.73			803602.60	125839031.99	1	125839031.99
10	Girls Hostel (PG)	65400959.56	2061189.89	898601.00	3375007.46			400536.60	72136294.51	1	72136294.51
11	Girls Hostel (UG)	73921417.91	1880362.62	476775.00	4248160.08			495961.40	81022677.01	1	81022677.01
12	Principal Residence	13807259.18	651079.40	397516.00	521003.29	1412401.00		159142.20	16948401.07	1	16948401.07
13	Type-IV	70850120.44	3905806.07	110257.50	6875767.24			229594.20	81971545.44	4	327886181.76
14	Type- III	60923595.31	3930496.71	117774.75	5291664.02			229594.20	70493124.99	4	281972499.97
15	Type-II	43812624.42	2532673.65	117774.75	3916717.97			229594.20	50609384.99	4	202437539.98
16	Type-I	37782323.29	2532685.65	110257.50	3281741.56			229594.20	43936602.20	4	175746408.80
17	Scientist Residence	16730755.09	1094270.65	471099.00	1163779.30	1940957.00		305038.60	21705899.64	1	21705899.64
18	Sports Complex.	64472652.68	901423.22	1208990.00	1657729.97	5069838.00		491080.00	73801713.87	1	73801713.87
19	Staff Community Centre	16849430.15	717581.91	366437.00	760786.96	2283717.00		262631.00	21240584.02	1	21240584.02
20	Convenience Centre	23874583.21	966922.41	314021.00	1710329.80	5043427.00		262631.00	32171914.42	1	32171914.42
21	School	32813207.24	1346287.80	414331.00	1527995.12			419849.40	36521670.56	1	36521670.56
22	Medical Centre	25266893.01	962599.47	392560.00	1802804.09	2443516.00		557956.00	31426328.57	1	31426328.57
23	Seed Processing Plant	8369198.34	378787.14	314021.00	370595.41			187417.40	9620019.29	1	9620019.29
24	Godown	6239196.75	723904.43		115239.80			0.00	7078340.98	1	7078340.98
25	Agriculture Storage	3061859.49	0.00		64547.14			0:00	3126406.63	1	3126406.63
26	Animal Hospital	47907205.92	723904.43	746718.00	2137997.46	6045520.00		444471.40	58005817.21	1	58005817.21
27	Poultry Shed Hatchery	6776789.35	0.00		1279583.04			232671.80	8289044.19	1	8289044.19
28	Implementation Shed	10511990.63	0.00		102295.70			0.00	10614286.33	1	10614286.33
29	QC Lab.	33755924.02	610842.66	325457.00	1490768.35	4910532.00		422419.40	41515943.43	1	41515943.43
30	CA Storage	4294590.22	201136.66	0.00	285231.90	587921.00		0.00	5368879.78	1	5368879.78
31	Rearing Unit	5467586.00	0.00		210332.04			0.00	5677918.04	1	5677918.04
32	Horticulture Farm House	24810451.19	683045.04	394021.00	719020.72			0.00	26606537.95	1	26606537.95
33	Implementation Shed	10761332.68	0.00		102295.70			0.00	10863628.38	1	10863628.38
34	Bottling Plant	26118085.65	669135.50	568875.00	872736.88			366873.00	28595706.03	1	28595706.03
35	Leaf & Soil Testing Lab.	19791287.70	640636.25	384226.00	820622.91			384317.00	22021089.86	1	22021089.86
36	Cattle Shed	13749414.70	0.00		0.00			0.00	13749414.70	1	13749414.70
37	Goat House	7280533.83	0.00		0.00			0.00	7280533.83	1	7280533.83
38	Experimental Animal House	6858286.03	110701.93	325457.00	452585.66	427405.50		169115.00	8343531.12	1	8343531.12
39	Fish Hatchery	2771953.42	0.00		0.00			0.00	2771953.42	1	2771953.42
[illegible]	Fisher Farm Office	13127650.54	445678.48	283508.00	450736.68			288155.80	14595729.50	1	14595729.50
41	Sericulture Farm Office	14105017.06	445678.48	293531.00	452380.03			288155.80	15584762.37	1	15584762.37
42	Agriculture Farm Office	20486089.47	621029.24	372970.00	945734.15			419914.60	22844837.46	1	22844837.46

767

	Description Of Items	AMOUNT ON DIFFERENT HEADS								No.Of Block	Total T.S. Amount
		CIVIL	Plumbing	Fire Fighting	ELECTRICAL	HVAC	LIFT	Interior + Sinages	Cost Of One Block		
	Fruit & Vegitable Ground	5968127.89	0.00		-			0.00	5968127.89	1	5968127.89
	Temporary Structure For Academic & Admin Area	37479445.30	20662167.78		46,89,728.00				62831341.08	1	62831341.08
	TOTAL OF A	2373377817.34	80361844.90	42434537.50	138165774.15	160089222.50	23552000.00	61942104.00	2879923300.38	A	3620955273.26
B	**Site Development**	947789651.13							947789651.13	1	947789651.13
44	External Electrification				192676932.44				192676932.44	1	192676932.44
45	H.T Panels				15543310.00				15543310.00	1	15543310.00
46	Transformer				21646550.00				21646550.00	1	21646550.00
47	DG Set				67631310.00				67631310.00	1	67631310.00
48	Security System				16687507.00				16687507.00	1	16687507.00
49	Fire Alarm System				3079551.00				3079551.00	1	3079551.00
50	External Plumbing		54358751.83						54358751.83	1	54358751.83
51	Pumps & Equipments		2344797.00	63136710.89					65481507.89	1	65481507.89
52	Hot Water Genrator System		2285100.00						2285100.00	1	2285100.00
53	Borewell		3372595.45						3372595.45	1	3372595.45
54	STP Equipments		2738347.00						2738347.00	1	2738347.00
55	ETP Equipments		1419000.00						1419000.00	1	1419000.00
	TOTAL OF B	947789651.13	66518591.28	63136710.89	317265160.44	0.00	0.00	0.00	1394710113.74	B	1394710113.74
	Tender Amount									A+B	5015665387.00
56	Incoming supply by SEB										50500000.00
57	BK Work with non modular Fly Ash-Difference in cost										11927698.07
58	Drain 8.00 m wide								64183085.67	1	64183085.67
59	Drain 4.00 m wide								30957211.8	1	30957211.80
	Add @ 18.25% above tender amount										915358933.13
	Add Labour Cess On DSR & NSI Items Only @ 1%										21346350.70
	Gross Total										6109938666.36
	Add 1% Contigencies Charges On One Crore							1%			100000.00
	Add 0.5% On Balance				6099938666.36			0.50%			30499693.33
	Add 10 % Cent age Charge										610993866.64
	Add 1.2 % Consultancy Fee										73319264.00
	Add Service Tax 12.36 % on Consultancy Fee										9062261.03
	Total										6833913751.00

Say Rs 683.392 crore.

Technically approved for Rs 683.392 Crore (Rs Six eighty three crore, thirty-nine lac, twenty thousand) Only.

DGM (N) 16.5.14 — BSBCCL Patna

GM (N) 16.5.14 — BSBCCL Patna

GM (HQ) 16.5.14 — BSBCCL Patna

CGM 16.5.14 — BSBCCL

DDF Consu...

CONSTRUCTION OF BIHAR AGRICULTURE COLLEGE KISHANGANJ, BIHAR

SUMMARY OF COST Labour Cess On DSR & NSI Items

	Description Of Items	AMOUNT ON DIFFERENT HEADS								No.Of Block	Total
		CIVIL	Plumbing	Fire Fighting	ELECTRICAL	HVAC	LIFT	Interior + Sinages	Cost Of One Block		
A	**Building**										
1	Main College Building	4059562.95	1,45,243.53	285452.87	344608.19	1131535.55	235520.00	1940439.51	8142362.59	1	8142362.59
2	Auditorium	390608.37	9957.25	14697.54	15363.40	94799.08		482745.01	1008170.65	1	1008170.65
3	Poultry Shed	17383.57	4356.98		1162.69			0.00	22903.24	1	22903.24
4	Canteen	30500.05	925.36	3177.05	569.93			7437.23	42609.62	1	42609.62
5	Workshop	7261.17	0.00		301.58			0.00	7562.75	1	7562.75
6	Guest House	36972.88	8530.67	4041.51	7481.76	18863.68		17869.00	93759.49	1	93759.49
7	Farmer cum Training Hostel	85439.91	14414.83	4767.75	15584.73	54041.57		4759.85	179008.63	1	179008.63
8	Boys Hostel (PG)	171500.85	19350.99	8986.01	9868.66			54822.59	264529.09	1	264529.09
9	Boys Hostel (UG)	211522.31	18602.25	9179.86	18277.34			120222.03	377803.78	1	377803.78
10	Girls Hostel (PG)	171500.85	15044.54	8986.01	7838.72			27203.37	230573.49	1	230573.49
11	Girls Hostel (UG)	189352.52	18803.63	4767.75	19096.62			59461.61	291482.13	1	291482.13
12	Principal Residence	35939.83	5842.26	3975.16	1484.31	14124.01		1591.42	62956.99	1	62956.99
13	Type-IV	152166.30	29854.95	1102.58	29503.31			2295.94	214923.08	4	859692.31
14	Type- III	135220.78	30180.45	1177.75	25851.43			2295.94	194676.34	4	778705.37
15	Type-II	77579.00	16855.97	1177.75	19507.97			2295.94	117416.63	4	469666.50
16	Type-I	74423.65	16856.09	1102.58	15813.08			2295.94	110491.34	4	441965.36
17	Scientist Residence	33690.54	8282.85	4710.99	5813.64	19409.57		54186.39	126093.97	1	126093.97
18	Sports Complex	223679.43	6365.66	12089.90	11650.31	50698.38		20135.80	324619.47	1	324619.47
19	Staff Community Centre	72730.77	5554.90	3664.37	4960.07	22837.17		10551.31	120298.58	1	120298.58
20	Convenience Centre	31172.81	7120.08	3140.21	15724.82	50434.27		2626.31	110218.49	1	110218.49
21	School	95151.40	9736.90	4143.31	3358.29			53610.24	166000.14	1	166000.14
22	Medical Centre	67345.28	7315.69	3925.60	6807.70	24435.16		5579.56	115408.99	1	115408.99
23	Seed Processing Plant	21125.50	3052.53	3140.21	1039.77			1874.17	30232.19	1	30232.19
24	Godown	7272.79	0.00		739.30			0.00	8012.08	1	8012.08
25	Agriculture Storage	3854.02	0.00		371.29			0.00	4225.31	1	4225.31
26	Animal Hospital	50476.38	5625.34	7467.18	12032.67	60455.20		41801.71	177858.49	1	177858.49
27	Poultry Shed Hatchery	15004.71	0.00		4503.00			2326.72	21834.42	1	21834.42
28	Implementation Shed	42006.80	0.00		451.80			0.00	42458.60	1	42458.60
29	QC Lab.	133381.70	4791.30	3254.57	5970.91	49105.32		22903.79	219407.59	1	219407.59
30	CA Storage	10781.96	1624.84	0.00	1183.05	5879.21		0.00	19469.05	1	19469.05
31	Rearing Unit	11897.88	0.00		1263.89			0.00	13161.77	1	13161.77
32	Horticulture Farm House	56245.77	5200.21	3940.21	2237.82			22926.50	90550.51	1	90550.51
33	Implementation Shed	42006.80	0:00		451.80			0.00	42458.60	1	42458.60
34	Bottling Plant	62958.62	4647.88	5688.75	2887.36			43917.23	120099.84	1	120099.84
35	Leaf & Soil Testing Lab.	57595.97	4523.03	3842.26	2457.26			11748.67	80167.19	1	80167.19
36	Cattle Shed	25274.29	0.00		0.00			0.00	25274.29	1	25274.29
37	Goat House	16873.56	0.00		0.00			0.00	16873.56	1	16873.56
38	Experimental Animal House	10129.18	1042.46	3254.57	1923.95	4274.06		3719.15	24343.36	1	24343.36
39	Fish Hatchery	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	1	0.00
40	Fisher Farm Office	22181.90	3222.55	283508.00	1163.84			13950.56	324026.84	1	324026.84
41	Sericulture Farm Office	27036.18	3222.55	293531.00	1180.27			13894.56	338864.56	1	338864.56
42	Agriculture Farm Office	54837.09	4585.39	372070.00	2754.96			27289.65	461537.09	1	461537.09
	Fruit & Vegitable Ground	9820.37	0.00					0.00	9820.37	1	9820.37
	[illegible]porary Structure	220305.09	57782.30		[illegible]				[illegible]		[illegible]

	Description Of Items	AMOUNT ON DIFFERENT HEADS								No.Of Block	Total
		CIVIL	Plumbing	Fire Fighting	ELECTRICAL	HVAC	LIFT	Interior + Sinages	Cost Of One Block		
	TOTAL OF A	**7271771.74**	**498466.18**	**1363963.29**	**639245.17**	**1600892.23**	**235520.00**	**3078777.71**	**14688636.30**	A	**16601158.45**
	Site Development	0.00							0.00	1	0.00
4	External Electrification				2310639.21				2310639.21	1	2310639.21
45	H T Panels				155433.10				155433.10	1	155433.10
46	Transformer				216465.50				216465.50	1	216465.50
47	DG Set				676313.10				676313.10	1	676313.10
48	Security System				166875.07				166875.07	1	166875.07
49	Fire Alarm System				27116.31				27116.31	1	27116.31
50	External Plumbing		407826.86						407826.86	1	407826.86
51	Pumps & Equipments		23447.97	6,31,367.11					654815.08	1	654815.08
52	Hot Water Genrator System		22,851.00						22851.00	1	22851.00
53	Borewell		33725.95						33725.95	1	33725.95
54	STP Equipments		27383.47						27383.47	1	27383.47
55	ETP Equipments		14190.00						14190.00	1	14190.00
57	Drain 8.00 m wide								10919.56	1	10919.56
58	Drain 4.00 m wide								20638.04	1	20638.04
	TOTAL OF B	**0.00**	**529425.25**	**631367.11**	**3552842.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4713634.65**	B	**4745192.25**
										A+B	21346350.70

अनुसूची-II

757

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अ धि सू च ना

दिनांक.........

सं० एम-4-12/2013(खंड-1)..........बि० भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ

(1) ~~यह संहिता बिहार~~ कोषागार (संशोधन) संहिता, 2014 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 एवं उसकी टिप्पणी 2 में प्रयुक्त शब्द "दो क्रमिक वित्तीय वर्षों" शब्द "तीन क्रमिक वित्तीय वर्षों" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. बिहार कोषागार संहिता के नियम 349 का विधमान प्रावधान नियम 349 के उप नियम-(1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप नियम-(2) जोड़ा जायेगा ।

(2) (i) राज्य सरकार द्वारा गठित Special Purpose Vehicles ... Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि का, जो राज्य सरकार से किसी भी रूप में (यथा अनुदान, ऋण, सेंटेज पर कार्य कराने आदि) ... प्राप्त करती है, व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) कोषागार में खोला जायेगा । ... तरह का व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) नियम 349(क) के अधीन स्थानीय निकायों के खाता से भिन्न होंगे । राज्य सरकार किसी संस्था को या किसी विनिर्दिष्ट योजना की राशि को व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) में रखने से छूट दे सकेगी ।

टिप्पणी- राज्य के सार्वजनिक निगम, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं अन्य संस्थानों, जिनका पी०एल० खाता खोला जाना है, की सूची परिशिष्ट 14(क) में दी गई है लेकिन यह सूची अंतिम नहीं है । राज्य सरकार किसी संस्था को या किसी विनिर्दिष्ट योजना की राशि को व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) में रखने से छूट दे सकेगी ।

(ii) व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) का संचालन संस्था के प्राधिकृत पदाधिकारी(जमा प्रशासक) द्वारा गैर सरकारी चेक के माध्यम से किया जायेगा जो महालेखाकार(अंकेक्षण) द्वारा कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चेक निर्गत करने हेतु महालेखाकार(अंकेक्षण) से ... पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iii) राज्य सरकार द्वारा Special Purpose Vehicles, Non Profitable Organisations, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसाईटी आदि को चेक/ड्राफ्ट/खाता ... द्वारा उनके व्यक्तिगत लेखा खाता(पी०एल० खाता) में धन उपलब्ध कराया ... । राज्य सरकार बाजार से सेंटेज पर कार्य करने हेतु प्राप्त होने वाली राशि ... पी०एल० लेखा

756

खाता(पी0एल0 खाता) में रखने से छूट दे सकती है । राज्य सरकार इन संस्थानों की मासिक तरलता बनाये रखने हेतु, व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0एल0 खाता) में जमा राशि में से किश्तों में राशि की निकासी कर, राशि को बैंक खाता में रखने का आदेश दे सकेगी ।''

(iv) ''कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह मासिक लेखा के साथ व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0एल0 खाता) का धन-व्यय ज्ञापन महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के लिए व्यक्तिगत लेखा खातों में जमा शेषों के सत्यापन के बाद उन्हें सत्यापन सहित महालेखाकार को भेजने के लिए जमा प्रशासक द्वारा 30 अप्रैल तक कोषागार पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।''

(v) ''व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0एल0 खाता) में जमा अप्रयुक्त राशि जमा या अंतरण वाले वर्ष सहित तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो जायेगी तथा वह राशि संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के रूप में अंतरित कर दी जायेगी । वित्त विभाग, विशेष परिस्थिति में, व्ययगत राशि की निकासी करने की अनुमति दे सकेगा ।''

(vi) ''वित्त विभाग विशेष परिस्थिति में व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0एल0 खाता) में राशि जमा करने एवं निकासी करने हेतु प्रक्रिया विहित कर सकेगा ।''

(vii) ''महालेखाकार(अंकेक्षण) द्वारा व्यक्तिगत लेखा खाता(पी0एल0 खाता) का लेखा परीक्षण किया जा सकेगा । वे जमा प्रशासक से उन अभिलेखों की माँग कर सकेंगे जिसके आधार पर सरकारी धन के बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन का परीक्षण किया जा सके।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

(रश्मि पुनतानी)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम 4-12/2013(खंड I)................/वि0 पटना, दिनांक...............

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम 4-12/2013(खंड I) 6487 /वि0 पटना, दिनांक.............

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

बिहार सरकार

कृषि विभाग।

ज्ञापांक– 3/कृ0वि0(विविध)–3544 /कृ0, पटना, दिनांक 4/8/ 2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/ निदेशक उद्यान/ निदेशक, पी0पी0एम0/ निदेशक, भूमि संरक्षण/ निदेशक, बामेती/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/ लेखापाल, सचिवालय एवं निदेशालय प्रभाग, कृषि विभाग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विश्व मोहन सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

D:\Prakash\August 2014\04.08.2014.docx

753 (65)

Govt. of Bihar
Finance Department
Notification

Dated:................

No. M-4-12/2013(Part-I)....................../F. In exercise of powers conferred under Article 283 (2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following code to amendment The Bihar Treasury Code, 2011 :-

1. Short title, extent and commencent :-

(1) This code may be called The Bihar Treasury (Amendment) Code, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. The words "two consecutive years" used in Rule 344 of Bihar Treasury Code, 2011 and its note-2 shall be substituted by the words "Three consecutive financial years."

3. The existing provision of Rule 9 of The Bihar Treasury Code, 2011 shall be numbered as sub rule (1) and after that the following sub rule (2) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) & (vii) shall be added :-

(2) (i) "Personal Ledger Account of Special Purpose vehicles, Board, Authority, Agency and Society etc. constituted by the State Government who receive money in any form (eg. Grant, loan, work to be done on centage etc.) shall be opened in the Treasury. Such type of Personal Ledger Account (P.L. Account) shall be different from that of Local bodies under Rule 349(a). The State Government may exempt any institution or any specific scheme amount to keep in Personal Ledger Account.

Note :- The list of The Commercial Corporations, Boards, Authority, Agency and other institutions of the State Government, whose P.L. Account have to be opened is given in Appendix-14 (a) but this list is not final. The State Government may exempt any institution or any specific scheme amount to keep in Personal Ledger Account.

(ii) "Personal Ledger Account (P.L. Account) will be operated by the authorised officer through Non-Government cheque which will be provided by Accountant General through Treasury Officer. Note of authority from Accountant General (Audit) to issue cheque will not be necessary.

(iii) "Money will be provided to Personal Ledger Account of Special Purpose vehicles, Board, Authority, Agency and Society etc. by Cheque/Draft/Book transfer. The State Government may exempt the amount to be received to work on Centage from market to keep in Personal Ledger Account. The State Government may order to keep the amount in the Bank Account with drawing from Personal Ledger Account in installment to maintain the monetary liquidity of these institutions."

(iv) Plus-Minus memorandum of Personal Ledger Account (P.L. Account) shall be sent to Accountant General every month along with monthly account by the Treasury Officer. At the end of financial year, after verification of the deposit balance of Personal Ledger Account for the every year shall be provided with verification to The Treasury Officer by 30th April by the Deposit Administrator to send them to the Accountant General.

754

(v) The unutilized amount lying in Personal Deposit Account shall lapse at the last of three consecutive financial years including year of transfer or deposit and the such amount will be transferred to the concerned service Head as reduction in expenditure. The Finance Department may permit to withdraw the lapsed amount in special circumstances.

(vi) The Finance Department may in secial circumstances, prescribe procedure of deposit and withdrawal of the amount from P.L. Account.

(vii) The Personal Ledger Account (P.L. Account) may be audited by The Accountant General (Audit). He may ask for such records form Deposit Administrator on the basis of which examination of better use and management of public money may be made.

By Order of the Governor of Bihar,

sd/-

(Rajit Punhani)
Secretary (Expenditure)

Memo.:-M-4-12/2013(Part-I)....................../F. Patna, dated..................

Copy forwarded to- Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

sd/-

(Rajit Punhani)
Secretary (Expenditure)

Memo.:-M-4-12/2013(Part-I)......6487......../F. Patna, dated..................

Copy forwarded to- All Departments/All Head of Departments/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Treasury officer for information and necessary action.

(Rajit Punhani)
Secretary (Expenditure)